4.00 P.M.

MR. CHAIRMAN: That may be the reason. You all made him impatient. ...*(Interruptions)*... Now, the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2018.

The Negotiable Instrument (Amendment) Bill, 2018

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला)ः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि लोक सभा द्वारा पारित 'Negotiable Instruments (Amendment) Bill', 2018, पर विचार किया जाए।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए समय-समय पर 'Negotiable Instruments Act, 1881' में अनेक संशोधन किए गए हैं। फिर भी चेक अनादर के लंबित मामलों के परिणामस्वरूप चेक प्राप्तकर्ता के साथ जो अन्याय होता है, उस अन्याय के समाधान के लिए सरकार को लोगों के तथा व्यापारी वर्ग के representations प्राप्त होते रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... If you want to sit with your leader, you can sit. No problem. ...*(Interruptions)*...

श्री शिव प्रताप शुक्लाः मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे representations का विषय बाउंस हुए चेकों के जारीकर्ता द्वारा अपील दर्ज कराने की स्थिति में कार्यवाहियों का स्थगन प्राप्त करने के आसान प्रक्रियाओं के कारण अपनाई जाने वाली जो आसान युक्तियां थीं, चेक के प्राप्तकर्ता को उसका मूल्य नहीं मिल पाता था, न्यायालयों की कार्यवाहियों में पर्याप्त समय और संसाधन लगाने पड़ते थे। प्रस्तुत विधेयक को सदन में इसलिए लाया गया है, ताकि चेक प्राप्तकर्ता को कठिनाइयों से न गुजरना पड़े, जल्दी से जल्दी उसको चेक की रकम प्राप्त हो सके और चेक की विश्वसनीयता कायम रहे।

मान्यवर, Negotiable Instrument Act, 1881 में एक नई धारा 143A का समावेश किया गया है, जिससे धारा 138 के अंतर्गत अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालयों को चेक जारीकर्ता को निर्देश देने का अधिकार इसलिए दिया गया है, ताकि शिकायतकर्ता को चेक की राशि, वह जितनी भी हो, उसका 20 परसेंट अंतरिम भुगतान किया जा सके। मान्यवर, चेक जारीकर्ता को आदेश की तारीख के 60 दिन के अंदर अंतरिम मुआवजे का भुगतान हो, जिसे 30 दिन तक और अधिक बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक लंबित नहीं किया जा सकता है। यदि चेक जारीकर्ता को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो अदालत शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे के रूप में किए गए भुगतान को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, आरबीआई द्वारा प्रकाशित वित्तीय वर्ष के आरम्भ में प्रचलित बैंक दर पर ब्याज सहित देने का निर्देश देती है।

मान्यवर, Negotiable Instrument Act, 1881 में एक नई धारा, 148 का समावेशन किया गया था। इसके अंतर्गत अपीली न्यायालयों को अपीलकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित दंड अथवा

मुआवजे की कम से कम 20 प्रतिशत राशि जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह राशि धारा 143 के तहत भुगतान किए गए किसी भी अंतरिम मुआवजे के अतिरिक्त होगी। चेक जारीकर्ता को, जो मैंने पूर्व में कहा उसके लिए 60 दिन है, उसके बाद 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है, उसी के अनुसार उसका समाधान होगा। अपीली न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा जारी लम्बित स्थिति में भी पुनः एक बार 143A में सम्मिलित कर देंगे, तो रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार ही उसको देंगे। प्रस्तुत विधेयक में चेक जारीकर्ता को राहत प्रदान करना, चेक के अस्वीकृत होने संबंधी मामलों में नितांत विलम्ब की समस्याओं के समाधान के लिए इस विधेयक के लागू होने के आवश्यक विवादों से निपटा जाए तथा समय और धन की पर्याप्त बचत हो, इससे चेक की विश्वसनीयता बढ़े, इसके लिए मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को समर्थन देते हुए पारित करने की कृपा करें।

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: Any Member desiring to speak, may do so, after which the Minister will reply. Now, Shri Madhusudan Mistry. इसमें दो घंटे का पूरा समय दिया गया है, इसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: At the outset, I welcome the Bill, and my party supports this Bill. The passing of this amendment specially will help the trading community, and specially those, who are involved in trade and business, and sold their goods and services to the third party. Besides that, Sir, it will also check, to some extent, the fraudulent person, who tries to buy time, by issuing the cheque, and either he does not have enough or sufficient amount in his account or he tries to see to it that goods which are being sold to him, are not paid, or, the amount is not being paid, and tries to cheat the trader or the first party. The amendment gives more power to the court where the cheque is being issued, and amount not paid, either because there is not sufficient amount in his bank account or instruction is given by the person to the bank to stop the payment. In that case, the first party or a payee to whom the drawer has made a cheque on his or her name, it can approach the court, and the court can pass an order. इसमें एक अच्छी चीज़ यह है कि जब payee को drawee चैक देता है और अगर वह पैसा किसी भी कारण से रोक दिया जाता है या बैंक में चैक बाउंस हो जाता है, अगर payee कोर्ट जाता है, तो सबसे पहले drawer को उसमें 20 परसेंट पैसा जमा कराना पड़ेगा और उसके बाद जो भी निर्णय होगा, तो यदि कोर्ट पैसे देने का आर्डर करती है तो 60 दिन के अंदर बाकी पैसा जमा करना होगा और उसको 30 दिन की मुद्दत मिलेगी। अगर drawer उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है और वह अपील में जाता है, तो उसको अतिरिक्त 20 परसेंट ऐडीश्नल अमाउण्ट जमा कराना पड़ेगा। जब तक फाइनल ऑर्डर न आए, तब तक वहां पैसा रहेगा और फाइनल ऑर्डर आने पर आने पर उसको पूरा अमाउण्ट जमा कराना पड़ेगा। लेकिन in case drawee के favour में कोर्ट डिसीज़न देती है तो जिसने कम्पलेंट की है, तो उसको वह पैसा ब्याज के साथ उसी समय मर्यादा के अंदर वापस देना पड़ेगा।

[Shri Madhusudan Mistry]

सरकार ने अमेंडमेंट से इसके अंदर एक कर्व लाने की कोशिश की है, खासकर जो चैक लोग किसी को संतोष के लिए देते हैं या यह कहने के लिए चैक देते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं चैक देता हूं, लेकिन वह चैक बाउंस हो जाता है। एक तो इस पूरे सिस्टम से चैक पर विश्वास पड़ेगा, ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ा चेक आएगा जो ऐसे चैक या प्रॉमिसरी नोट वगैरह देते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वाकई इससे एक बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के केसेज़ को रोक सकेंगे? मैं कल रात को पढ़ रहा था, तो पता चला कि आज भी इसके अंदर लाखों केसेज़ कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग हैं। उनको डील करना बड़ा मुश्किल काम है। इस वजह से बिल में अमेंडमेंट लाया गया है। इसकी वजह से लोगों में चैक के प्रति विश्वास पैदा हो, यह भी इसके पीछे प्रयत्न है। इसमें जो प्रावधान किए हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा उसको पैनल्टी देने, दो साल की सज़ा देने जैसे इसमें सारे प्रावधान है। मेरे ख्याल से ये प्रावधान पूरे नहीं हैं या तो इतने deterrent नहीं हैं कि जिससे ऐसे fraudulent person को रोका जा सके या उनको चेक किया जाए। कितने केसेज़ के अंदर ऐसा होता है कि if you issue a cheque which gets bounced, then you are forbidden to issue a cheque for the next two years, three years or five years, as the case may be. Besides that, you have also been punished for issuing such a cheque. मेरी मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि ऐसा भी कुछ सोचिए कि, मैं खासकर बिज़नेस की बात करूंगा कि पूरा जो बिज़नेस चलता है तो चैक बाउंस करवाने का, पेमेंट डिले करवाने आदि के ऊपर थोड़ा चेक आए, लिटिगेशन भी कम हो, ऐसी कुछ चीज़ें स्ट्रिंजेंट हैं, उनका प्रावधान होना चाहिए।

दूसरा एक अन्य सवाल पैदा होता है कि बहुत सी जगह पर प्राइवेट लेंडिंग चलती है, प्राइवेट लेंडिग वाले लोगों ने अपनी जाति को रजिस्टर नहीं किया होता है, क्योंकि वे Money Laundering Act के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होते या वे स्वयं को रजिस्टर नहीं करवाते हैं इसलिए Money Laundering Act के अंदर जो रजिस्टर नहीं करवाते, वे लोग अगर किसी दूसरे को पैसा देते हैं, तो उसके ऊपर हर महीने डेढ़ टका, दो टका या परसेंट में ब्याज लेते हैं। जो लोग पैसे लेंड करते हैं, उनसे सिग्नेचर वाला कोरा चैक ले लेते हैं। इस दरमियान जब अनरजिस्टर्ड द्वारा उनको उधार पैसा दिया जाता है तो उस पैसे पर ब्याज लिया जाता है, प्रिंसिपल अमाउण्ट भी लिया जाता है, उसके बाद कई किस्मों के अंदर उनको जो सिग्नेचर वाला कोरा चैक दिया गया था, वह वापस अमाउण्ट के लिए बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं और उसमें से वापस वह पैसा लेते हैं। इन सारी चीज़ों को कैसे रोका जाए, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कितनी जगह इसका परसेंटेज 20-25 टका साल का होता है और 36 टका ब्याज होता है। ऐसे-ऐसे इंसीडेंट सामने आए हैं कि 100 रुपए के ऊपर हर महीने 10 रुपए ब्याज देना पड़ता है। ऐसी प्राइवेट लैंडिंग व्यवस्था सभी जगहों पर by and large चल रही है। जो लोग बिल्कुल fradulent चैक देते हैं या जो चेक बाउंस होते हैं, उस इश्यू के ऊपर बैंक और मिनिस्ट्री कैसे कार्य करेंगे? आप बाउंस होने की प्रक्रिया को किस तरह रोकेंगे? That is the major reason. I don't think this would be a strong deterrent for all those people who are issuing the cheques which are bound to bounce simply because they don't have enough money in their own accounts or they want to buy time, as a result, to pay to the payee at later stage. सर, ये जो चार-पांच सवाल हैं, मैं मानता हूं कि आपको इनको डील करना चाहिए। आपकी

मिनिस्ट्री है, इसलिए आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। आप यह जो संशोधन लेकर आए हैं, यह बहुत अच्छा है। आपकी ऐसी मंशा है कि व्यापारी लोग, जो दूसरी जगह पर धंधा करते हैं, खासकर दूसरी स्टेट के अंदर धंधा करते हैं, वहां से जो चेक आते हैं, उनके वे चेक बाउंस न हों और उनको समय पर पैसा मिल जाए, उस पर हमारा सपोर्ट है। आप यह जो बिल लेकर आए हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Shri Mahesh Poddar. You have one more speaker from your party, keep that in mind.

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): सर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह काफी महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में मेरी व्यक्तिगत रूचि भी है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए देखता हूं कि यह विधेयक, जिसका एक सौ वर्ष से पुराना कानून बना हुआ है, यदि इसके पीछे हम पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के इतिहास में जाएं, तो कुछ गलत नहीं होगा। महोदय, मैं जब इस विषय पर बोलने के लिए तैयारी कर रहा था, तब मैंने यह जानने की कोशिश की कि "Negotiable Instruments Act" का अर्थ क्या है? बात करने से पहले, मैं यह देखता हूं कि हम सब जानते हैं कि वैदिक दिनों से ही हमारे यहां मुद्रा का प्रचलन था और इसे लेन-देन तथा व्यापार के तौर-तरीकों के लिए उपयोग किया जाता था। महोदय, इस संदर्भ में एक अच्छी जानकारी मिली कि "रुपए" शब्द की इज़ात भी "रूपा" शब्द से ही हुई थी, जिसका अर्थ होता है चांदी। संस्कृत में "रूप्यकम्" का अर्थ है, चांदी का सिक्का, जो 1540-1545 में शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों के उपयोग के तौर पर लाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1770 में कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहली बार कागज़ी मुद्रा चालू की थी, जिस पर text भी लिखा होता था। उसके बाद कागज़ी मुद्रा अधिक लोकप्रिय हुई। लेकिन इन सब के साथ-साथ यह भी एक तथ्य है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जहां हम चेक की बात कर रहे हैं, वहां इस कानून में हुंडी वगैर हकी व्यवस्था की भी बात की गई है। हम सब जानते हैं कि भारत की पहली मुद्रा प्रिंटिंग प्रैस वर्ष 1928 में नासिक में बनी थी, लेकिन इसके बहुत पहले, करीब-करीब मिलती-जुलती हुंडी और चेक की अवधारणा चलन में आ गई थी। वैदिक काल में ही मुद्रा को सहेजने वाली और जमा राशि पर ब्याज देने वाली एजेन्सियों और इसी तरह की संस्थाओं का भी उल्लेख है। वेदों में सूत्रों, जातकों में कुसीदीन नामक पद का उल्लेख भी मिलता है, जो धन का प्रबन्धन करता था। महोदय, मौर्य काल आते-आते सत्ता बैंकिंग का काम करने लग गई। ई.पू. 185 आते-आते वादा पत्रों का प्रचलन आरंभ हो गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में पैर जमाने तक जारी रहा। मुगल काल से हुंडियों का प्रयोग शुरू हुआ और भारतीय लेन-देन का हिस्सा बन गया।

*[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन)** पीठासीन हुईं]*

दरअसल, मुद्रा को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने को व्यापारियों ने असुरक्षित मान कर इस पद्धति को अपनाया और इसके पीछे individual व्यापारियों की साख द्वारा निर्गत की गई हुंडियों का लेन-देन होता था और एक-दूसरे को इसका ट्रांसफर भी होता रहा। साठ के दशक तक झारखंड में लाह का व्यापार काफी होता था और कलकत्ता मंडी थी। कलकत्ता की मंडी में जो बड़े व्यापारी थे, वे

[श्री महेश पोद्दार]

हुंडियां issue करते थे, जिससे छोटे व्यापारी भी आपस में लेन-देन किया करते थे। जहां तक वित्तीय लेन-देन में चेक के इस्तेमाल का सवाल है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित बंगाल बैंक के द्वारा पहली बार 1784 में चंक सिस्टम जारी किया गया था। महोदया, हम सभी जानते हैं कि हमारे यहां बिना चेक के कोई भी व्यावसायिक गतिविधि संभव नहीं है। हमारी सरकार देश में कैशलेस इकोनॉमी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही साथ हम बिना चेक के कैशलेस इकोनॉमी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब कैशलेस इकोनॉमी की बात आती है, तो चेक और प्लास्टिक मीन, किन्हीं दो चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं। मुझे 2017-18 के बजट भाषण में, माननीय जेटली जी द्वारा कही बात याद आती है कि डिजिटल इकोनोमी में dishonoured cheque के भुगतान को सुनिश्चित करना आवश्यक है और इसी दिशा में यह संशोधन Negotiable Instrument Act,2017 में लाया गया है। महोदया, अगस्त 2017 में, वाणिज्यिक लेन-देन को यदि उदाहरण मानें, तो एक महीने की अवधि में करीब 6 लाख करोड़ के लेन-देन चेक के माध्यम से होते थे, वार्षिक करीब-करीब 74 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन होता था। महोदया, वादा पत्र हो या हुंडी या चेक, वित्तीय विनिमय की सभी प्रणालियों में एक चीज़ कॉमन है और वह है भरोसा। यदि लेन-देन की पूरी चेन में से किसी भी कड़ी में आकर यह भरोसा टूट जाए, तो पूरी प्रणाली ही प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। ऐसे दृष्टांत बड़ी मात्रा में सामने आए हैं। इसकी वजह से आज हमें इस विधेयक की चर्चा करनी पड़ रही है। एन.आई. एक्ट तो 1881 से चल रहा था, जिसमें इन सारे instruments की बात की गई है, लेकिन चेक बाउंसिंग की समस्या इतनी बड़ी हो गई कि आज करीब-करीब 60 लाख, जो करीब-करीब कुल मुकदमों का 20 प्रतिशत है, सिर्फ चेक बाउंसिंग के केसेज़ कोर्ट के सामने हैं और जब चेक बाउंसिंग से संबंधित सेक्शन 138 का कानून आया था, तो व्यापार जगत में उसका बहुत स्वागत हुआ था और उससे कुछ discipline भी आया था, लेकिन लोगों ने तरह-तरह के तरीके निकाल-निकाल कर इस सेक्शन को भी एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया था और इनकी संख्या बढ़ती गई। अब समय आ गया है जब हमें इसे चेक करना है, इसके लिए हमें कुछ नए उपाय करने पड़ेंगे।

महोदया, सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों के भुगतान के लिए एक एक्ट बनाया था, जिसमें की भुगतान में जो लोग विलम्ब करते थे, उन्हें एक निश्चित राशि, 75 परसेन्ट डिपोज़िट करनी पड़ती थी। उसकी वजह से छोटे उद्योगों के जो बहुत सारे भुगतान लंबित होते थे, वे आने शुरू हो गए। मैं समझता हूं कि शायद उसी से प्रेरणा पा कर, इस कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि जब कोई चेक का केस करता है तो उसे कम से कम 20 प्रतिशत तक राशि जमा करनी पड़ेगी और वह भी, 60 दिन और 30 दिन का ग्रेस पीरियड, टोटल 90 दिन के अंदर। यह प्रश्न मेरे दिमाग में भी उठा था कि जो डिफॉल्टर है, अगर वह 90 दिन में नहीं करता है, तो क्या होगा। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है और सेक्शन 421 के तहत जुर्माना वसूलने की जो पद्धति है। उस पद्धति का प्रावधान सैक्शन 143(A) में किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 90 दिन के अंदर-अंदर यह रकम जरूर उसके यहां वापस चली जाएगी।

उपसभाध्यक्ष महोदया, हम सब जानते हैं कि चैक बाउंसिंग के केस को लोग बहुत लाइटली लेते हैं। चलो, 10-20 साल का समय तो निकल ही जाएगा और तब तक मुकदमा करने वाला थक जाएगा तथा उसे थोड़ा-बहुत 10-20 परसेंट देकर सेटलमेंट करने को मजबूर किया जा सकेगा, लेकिन जब

20 प्रतिशत देने का प्रावधान हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति 20 प्रतिशत के साथ इंटरेस्ट भी देगा और सजा के भय से हो सकता है कि वह उससे जल्दी सेटलमेंट करना चाहे और लिटिगेशन को आगे बढ़ाना नहीं चाहे। एक दूसरा भी प्रावधान है, जैसा कि हम जानते हैं कि कानून की प्रक्रिया बहुत लम्बी चलती है और यदि पहली प्रक्रिया में वह हार जाता है, तो वह अपील में जाता है। पहले अपील में जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, वह वकील को कुछ पैसा देकर सीधे अपील में चला जाता था। अब यह प्रावधान किया गया है कि यदि वह अपील में जाता है, तो उसे 20 प्रतिशत और देना पड़ेगा यानी कि करीब-करीब 40 प्रतिशत देना होगा, तब उसकी अपील सुनी जाएगी। हो सकता है कि वह second stage में जाने से पहले सोचे कि मुझे अपील में जाना है या नहीं जाना है। हो सकता है कि वह सेटलमेंट कर ले, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि वह जीत जाता है, तो उसने जो डिपोजिट किया है, उसके पैसे का क्या होगा? महोदया, उसके लिए एक अच्छा प्रावधान किया गया है कि उसने जो 20 प्रतिशत या 40 प्रतिशत जमा किया है, वह पैसा उसको वापस मिलेगा और साथ में उसे बैंक रेट का इंटरेस्ट भी मिलेगा। मुझे लगता है कि इस कानून में संशोधन होने के बाद भारतीय वित्तीय जगत में लाखों मुकदमें दर्ज हैं, उनमें कमी आएगी और नए मुकदमें कम होंगे तथा डिजिटल लेनदेन के लिए आवश्यक है कि चैकों, हुंडियों पर लोगों का विश्वास बना रहे। इससे चैकों का दुरुपयोग होना बंद हो जाएगा। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। मैं इस बिल का फिर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): शुक्रिया। श्री संजय सेठ।

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2018 पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सरकार द्वारा इस बिल के माध्यम से आम आदमी और आम व्यापारी की समस्या का हल निकालने की यह अधूरी कोशिश है। आज देश में जो व्यापार की स्थिति है, उसे सभी लोग जानते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है, चाहे वह जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो। सारा व्यापार चौपट हो गया है और उसके ऊपर किसी को कोई चैक मिलता है और वह बाउंस हो जाता है, तो उससे उसको बहुत नुकसान होता है। इस वक्त अगर किसी को चैक से पेमेंट मिलती है, तो उसे इस चीज़ का विश्वास नहीं होता है कि वह चैक से पैसा प्राप्त कर पाएगा या नहीं, जब तक कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा न आ जाए। यहां तक कि सरकार द्वारा किसानों को दिए गए चैक भी डिस-ऑनर हो रहे हैं। इससे समझ सकते हैं कि आम आदमी का क्या होगा, यह देखने वाली बात है।

प्रधान मंत्री जी बार-बार यह कहते रहे हैं कि हमारा देश भारत 50 देशों की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में आ जाएगा। जब हमारे यहां चैकों का लेनदेन इस प्रकार से हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि हमारा देश 50 देशों की लिस्ट में आ पाएगा। इस बिल में कुछ ऐसे प्वाइंट्स होने चाहिए, जिससे कि एक आम आदमी को चैक के लेनदेन में पूरा विश्वास हो सके। इसमें केवल 20 परसेंट मुआवज़े का प्रावधान किया गया है, लेकिन interim मुआवज़ा मिलने के बाद भी उसे अपने आपको कोर्ट में जाकर innocent plead करना पड़ेगा, तब उसको मुआवज़ा मिलेगा। दूसरी चीज़ यह है कि वह आरोपी जिसने चैक जारी किया हे, अगर वही कोर्ट में नहीं आता है, तो उसको मुआवज़ा कौन देगा? यह भी एक ऐसी चीज़ है, जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। महोदया, वर्ष 2000 से वर्ष 2018

[श्री संजय सेठ]

तक इसमें तीन amendments आ चुके हैं, लेकिन अभी तक यह कानून पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाया है। आप इसमें एक amendment फिर ला रहे हैं। इसमें एक पुख्ता कानून बनाने की जरूरत है। देश में आज करीब 38 लाख cases pending चल रहे हैं। इन सभी आपराधिक मामलों में लगभग 20 परसेंट मामले cheque dishonour के हैं। वर्ष 2008 में Law Commission ने अपनी 213वीं रिपोर्ट में Fast Track Magisterial Court of dishonoured cheque cases की स्थापना करने की बता कही थी, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया।

महोदया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2008 में एक अपील सुनते हुए यह टिप्पणी की थी कि cheque bouncing के case में शीघ्र विचारण, अभियोगी का मौलिक अधिकार है। इसलिए मेरा निवेदन है कि Law Commission के सुझाव को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को तुरन्त Fast Track Court बनानी चाहिए। ऐसे केसेज का time bound तरीके से निस्तारण कराना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो कोर्ट हैं, उनमे अभी जो मुकदमें चल रहे हैं, क्या यह amendment उन मुकदमों पर भी लागू होगा?

महोदया, आज judiciary की जो हालत है, उसमें pendency पहले से ही बहुत ज्यादा है और वहां Judge की बहुत कमी है, तो मुझे नहीं लगता कि जो reported cases हैं, वे इतनी जल्दी solve हो सकते हैं। इसके लिए कोई कानून या Fast Track Courts आपको तुरन्त बनानी पड़ेंगी, जिनमें इन सारे cases को डालकर आप जल्दी से जल्दी निस्तारणं कराएं, जिससे जनता का विश्वास इन cheques के लेन-देन पर हो सके।

महोदया, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि कुछ बेइमान किस्म के लोग ऐसे होते हैं, जो सिर्फ इसीलिए cheques देते हैं, फिर वह चाहे loans के against में हों या किसी और संबंध में हों, जब उन cheques को लेकर आदमी बैंक में जब डालता है, तो वे dishonor हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह वकील करता है, उसका खर्च देता है और उसके बाद भी पांच-पांच और छः-छः साल अपने मुकदमें की पैरवी करने में लग जाते हैं। इस प्रकार कई बार तो यह होता है कि जितने रुपए का cheque होता है, उससे कहीं ज्यादा उसका खर्च पैरवी करने में लग जाता है। इसलिए इसके बारे में बहुत जरूरी है कि आपका कोई सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए।

महोदया, जैसे विदेशों में, UAE आदि देशों में होता है कि कोई भी cheque issue करने से पहले cheque जारी करने वाले को दो-चार बार सोचना पड़ता है कि अगर मैंने cheque issue किया है, तो वह cheque honour होना ही चाहिए। वहां के आदमी को यह विश्वास है कि यदि मेरे पास यह cheque है, तो मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा। यहां भारतवर्ष में भी उसी हिसाब से आम आदमी को विश्वास दिलाना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर कोई अपना पूरा पैसा लगाकर या कहीं किसी को कोई चीज या रुपए देता है, तो उसे वह पैसा वापस मिले, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।

महोदया, इसमें एक चीज़ और थी कि वित्त मंत्री जी ने पिछली बार बजट में कहा था कि digital लेनदेन को बढ़ावा मिलना चाहिए। जब आप बैंक में NEFT, RTGS या Bank Draft से पैसा देता हैं, तो

उस पर charges लगते हैं। इसी वजह से कोई आदमी इन माध्यमों से पैसा transfer न करके, cheque देता है, ताकि उसका खर्च बच जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सारे cheques उसमें से हटाएं, जिससे आदमी cheque की बजाय bank draft दे या NEFT अथवा RTGS से payment करे। इससे immediately payment भी हो जाएगा और उसके खाते में पूरा पैसा पहुंच जाएगा। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में ही सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन सभी बातों को देखे। इतना ही कहकर मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Madam, the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2018, brings two new provisions to the Negotiable Instruments Act. The one is Section 143A and the other is Section 148. These are two new provisions. According to these provisions, if an accused is not admitting the guilt before the trial court, then, he is liable to make payment to the tune of 20 per cent. Like that, after conviction, if the convicted person wants to prefer an appeal, 20 per cent fine or compensation is to be paid to the complainant. My humble submission would be that the first provision, that is, Section 143A, is against the principle of presumption of innocence. The accused is presumed to be innocent until he is proved guilty. Now, the burden is only on the complainant or the prosecution to prove that the accused has committed an offence. I humbly feel that Section 143 A, which contemplates a payment of 20 per cent of the cheque amount may not be sustainable. As regards the second provision, that is, Section 148, 20 per cent of the fine or the compensation is to be deposited at the time of preferring an appeal. According, to me, this is also not sustainable, because an appeal is continuation of the trial proceedings. Of course, the principle of presumption of innocence may not be available to the convicted person, but the discretion given to the court to admit an appeal even without making the payment of fine amount, has been taken away. Anyhow, the Government has moved this Bill with good intention, that is, to expedite the transactions taking place through cheques. So, I welcome this Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): *Shukriya.* Shri Manish Gupta.

SHRI MANISH GUPTA (West Bengal): Madam Vice-Chairperson, I stand to support this Bill. I think in the milieu of what is happening in the country today, we need to gauge and understand new laws, so that the future of our economic activity is not endangered by persons who have *mala fide* intentions. In this respect, I think this particular Bill will serve the purpose to a certain extent. I don't think that this Bill will have any great impact on the present situation except as a step towards further improving or taking care of the problems. Clause 2 of the Bill introduces Section 143A. But it identifies two situations.

[Shri Manish Gupta]

One is the summary trial and the other is the summons case. Now, Section 143 also gives power to the courts to provide for 20 per cent to the complainant while the case is in progress. A question has been raised as to how the Government arrives at this 20 per cent. Twenty per cent is a very arbitrary figure and is a very cautious approach. What we need here is a bold approach. I don't think 20 per cent will have the desired effect. A much higher amount, like 30 or 40 per cent would have been a disincentive to people who issue cheques which bounce in the banks. It is very important to identify the causes of delay in the courts. We make laws, we bring up new legislation. But the general situation of cheque bounced cases of delay in the courts has not been substantially solved. Today, there are more than 30 lakh cases pending in the subordinate courts, and about 35,000 cases are pending in the higher courts. Nobody has calculated that when the decisions of these courts or convictions are handed down, they could be appealed against in the higher courts. So, that means, more time will elapse before justice is done. However, a silver lining is that recently in the Economic Survey, there is a Chapter on 'Justice Delivery and Courts'. There is a thinking in this regard that our laws on dispute resolution can only be as effective as the dispute resolution processes themselves. Therefore, it is of utmost importance that any legislation that we bring, the parties who are involved in a dispute must, one way or the other, be assured that their rights will be enforced by the courts in a reasonable time.

I think that in this particular issue, the role of banks is important. The RBI, as Central Bank, has a very important role to play although they are not directly involved in the court processes. The RBI's recent track record indicates that they have said that they don't have adequate powers to deal with public sector banks. They have issued a new guideline across the board for stressed assets in all sectors, like, cement, power, export, etc. But the Central Bank cannot absolve itself of not being more proactive because the people of India look up to the Reserve Bank, It is a very old institution. The Reserve Bank promulgates banking regulations. The banks charge ₹300 for every re-presentation of any bounced cheque. So, there is a rate fixed. But the Reserve Bank needs to get more involved with this process. They have recently issued, as I said, new guidelines. These guidelines are unimaginative. The same guidelines have been recommended for many sectors across the board but each sector in the economy has its own problems just as the bounced cheque problem. ...*(Time-bell rings)*... Therefore this situation needs to be looked at more closely. Even application of Section 421 of the Cr.PC. is a very slow process of recovery of dues where fines have been imposed by the courts. Section 357 of the Cr.PC. is also there.

So, all this will come into play when this Act is applied, and I feel that we need to look at these situations more closely. This Act will willy-nilly also face, a test in the higher courts and therefore although we support this legislation, -- the Government must keep on thinking as to what more they can do for the future. Thank you, Madam.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। आज से कई वर्ष पूर्ण लोग cheque issue करते थे और वह bounce हो जाता था, क्योंकि कोई डर नहीं था, लेकिन समय-समय पर इस एक्ट में amendments किए गए हैं। यह एक अच्छा कदम है। खास कर अभी जो amendment लाया गया है, जिसके द्वारा इसमें जो दो नए प्रावधान किए गए हैं, उनका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। खासकर चेक के सम्बन्ध में इसकी जो efficiency है और इसकी जो साख है, उस पर अब बट्टा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति cheque issue करेगा, तो उसको लगेगा कि एक तरफ तो उसकी दो साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माना भी होगा और साथ ही जब कोर्ट में मुकदमा चलेगा, तो उसको 20 प्रतिशत पैसा जमा करना पड़ेगा। जब वह अपील में जाएगा, तो उसको 20 प्रतिशत पैसा और जमा करना पड़ेगा।

महोदया, एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति cheque issue करता है, उसको पता है कि उसके एकाउंट में पैसे हैं या नहीं। इस तरह से पूरी तरह से यह *mens rea* है। अगर पैसे नहीं रहते हुए भी वह cheque issue करता है और जब cheque bounce करता है, तो यह पूरी तरह से एक criminal act है। यह साधारण बात नहीं है। यह जान-बूझ कर, wilfully इसको जारी कर रहा है। इसलिए इसमें और भी ऐसा प्रावधान करना चाहिए, जिससे लोगों में खौफ हो। इसमें एक deterrence होना चाहिए। अभी यह bailable है और इसमें दो साल की सजा है। अब एक नया प्रावधान किया गया है कि उसको interim compensation देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आगे चल कर इस पर और विचार करना चाहिए और इसको non-bailable बनाना चाहिए। लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी cheque issue करते हैं, जैसा मैं पहले कह रहा था, तो आपको पता है कि आपके एकाउंट में पैसा है या नहीं। जो व्यक्ति इस तरह का fraudulent काम करता है, इस तरह का fake काम करता है, उसके लिए और कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए।

साथ ही, अभी जो 20 प्रतिशत पैसा जमा कराने का प्रावधान है, इसको बढ़ा कर 50 प्रतिशत करना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि हमें कम से कम 50 प्रतिशत पैसा देना पड़ेगा, तो उसकी यह tendency होगी कि जब 50 प्रतिशत देना ही है, तो ज्यादा से ज्यादा दे दें। जब वह अपी में जाए, तो उसको कम से कम 75 प्रतिशत पैसा जमा कराना चाहिए, तब उसकी tendency होगी कि वह out of court भी इसका settlement कर ले।

महोदया, एक बात और भी है कि कोर्ट में बहुत सारे cheque bounce के मामले लम्बित हैं। इस संबंध में कई figures हैं, कहीं 18 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 38 लाख है, लेकिन इनकी संख्या लाखों मे हैं। इसलिए हम लोगों को कोर्ट को भी approach करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जिनमें लोक अदालत लगा कर भी इनका निपटारा किया जाना चाहिए। इससे जो customer है, जिसको चेक मिलता है, उसको यह एहसास होगा कि हमें जो चेक मिल रहा है, उसकी साख है और हमें पैसा मिल जाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Madam, I don't support this Amendment because it would not fulfil the aims and objectives of the Bill. The new clause that is supposed to be incorporated could be misused very widely and it is also against the principles of natural justice and jurisprudence.

What is the intention of the Government? I believe that a speedy disposal of the cases related to offences of dishonour of cheques is a better way. Currently, a cheque-bounce case takes more than four years for completion of all the formalities. Hon. Minister, Shri Arun Jaitley, had made an announcement in the Budget Speech, 2017-18, that we need to ensure that the payees of the dishonoured cheques are able to realize the payment. The Government is, therefore, considering the option of amending the Negotiable Instruments Act suitably.

Sir, it is a fact that about 18 lakh cheque-bounce cases are pending in various courts. A speedy disposal of these cases is very essential. There is no doubt about that, but it not just cases of cheque-bounce that are pending in courts; crores and crores of civil and criminal cases are pending in various courts across the country. All the courts, from the bottom to the top, from the munsif courts to the Supreme Court, are overloaded. If the Government wants a speedy disposal of the cases, then it should strengthen the existing courts and open new courts. What is the present situation? A sizeable number of posts of Judicial Officers are lying vacant. The Government is not ready to recruit even Judicial Officers against the existing vacancies. As per the record of the Department of Justice, as on 1.7.2018, there are 8 vacancies in the Supreme Court and 411 vacancies in High Courts. Apart from this, more than 4,000 vacancies are existing in District and Subordinate Courts all over India. Madam, how could there be speedy disposal of cheque bouncing cases without even Judicial Officers in the Courts? To what extent, would this Amendment help to solve this problem? Madam, when we go through the Bill, Clause 2 deals with the payment of interim compensation, not exceeding 20 per cent of the amount of the cheque, to the complainant without examination of the genuineness of the cheque. Whether that cheque is fake or original, it is not examined, *(Time-bell rings)* That is not fair. The money is given to the opposite party, that is, the complainant.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): Please conclude.

SHRI K. SOMAPRASAD: Instead of this, let the defaulter deposit 20 per cent or 30 per cent money in the Court. Let the money be in the custody of the Court. Otherwise, if there is acquittal, sometimes it would be very difficult to get back the money from the

complainant. That itself would be the reason for another litigation. That is why I oppose this Amendment Bill. Thank you.

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): मैडम, आपने मुझे Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2018 पर बोलने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

मैं सबसे पहले इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन इसलिए करता हूं, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल के पास होने पर अब अदालतें पीड़ित पक्ष को मुकदमें एवं अपील दोनों चरणों में 20 परसेंट अंतरिम क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी कर सकेंगी और पीड़ितों को कुछ न कुछ मिलेगा। जब उनको कुछ मिलेगा, तो उससे उनका कुछ न कुछ काम-काज चलेगा। इसलिए इसमें जो एक बहुत ही अच्छा संशोधन होने जा रहा है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इससे निश्चित तौर पर भुगतान के रूप में cheque के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा और इसके साथ-साथ भुगतान के लिए नकदी के चलन में भी काफी कमी आयेगी। दूसरा, चेक बाउंस के मुकदमों में कमी आयेगी और कोर्ट्स पर जो इसका बहुत बोझ है, वह भी कम हो जाएगा। परन्तु मैडम, इस बिल को और सशक्त बनाने की जरूरत है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

इसके लिए, जैसा अभी एक माननीय सांसद कह रहे थे कि जिसका चेक बाउंस हो जाता है, यह अपराध non-bailable की श्रेणी में आना चाहिए। जब यह bailable होता है, तो जो ऐसा अपराधी है, वह अरेस्ट होने से बच जाता है, जेल में जाने से बच जाता है, इसलिए उसको डर नहीं रहता है। जब यह चेक बाउंस का मामला non-bailable हो जाएगा, तो पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में डालेगी और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। उसको इस बात का डर रहेगा। जब उसको यह डर रहेगा, तो मैं मानता हूं कि चेक बाउंस के मामलों की संख्या वास्तव में घट जायेगी।

दूसरा है- सज़ा का प्रावधान। इसमें जो 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, मैं मानता हूं कि यह भी कम है, इसलिए इसका बढ़ा कर 4 साल किया जाए। जब सज़ा 2 साल की होती है, तो जो अपराधी है, वह यह करता है कि वह एक मुचलका भर कर अपील कर देता है और जेल जाने से बच जाता है। जब इसमें 4 साल की सज़ा होगी, तो इसके कारण उसको निश्चित तौर से जेल जाना पड़ेगा। जब वह जेल जाएगा, तो उसे जेल जाने का भय होगा, क्योंकि अपराधी जेल से डरता है। जब जेल की बात आयेगी, तो निश्चित तौर से यह जो चेक बाउंस का मामला है, इसकी संख्या कम हो जायेगी।

तीसरा, आज देखिए जो mostly हम जो चेक देते हैं, वह खाली दे देते हैं। जब चेक खाली दिया जाता है, तो गरीब के साथ बेईमानी भी हो जाती है। उसे 1 लाख रुपए देने हैं, लेकिन उसमें 4 लाख भर दिया जाता है। इसलिए मैं इस बिल को सख्त करने के लिए कहना चाहूंगा कि खाली चेक लेना और देना भी अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। जब ऐसा होगा, तो अभी जो एक साइन करके दे देते हैं, तो कम से कम चेक को कम्पलीट भर कर तो दिया जाएगा। जब ऐसा होगा, तो मैं मानता हूं कि इससे इस तरह के केसेज़ कम होंगे।

अन्त में, यह जो बिल है, यह आगे आने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए है। परन्तु आज हमारी कोर्ट्स में 21 लाख के लगभग चेक बाउंस के केसेज़ चल रहे हैं। आज कोर्ट्स में 20 परसेंट के लगभग

[श्री राम कुमार कश्यप]

यह काम होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये जो 21 लाख के लगभग केसेज़ पेंडिंग हैं, इनसे कैसे जल्दी से जल्दी पीड़ितों को उनका मुआवज़ा मिले, उनको रिलीफ मिले, इसके बारे में भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसा होगा, तो मैं मानता हूं कि ये जो 21 लाख के करीब केसेज़ हैं, ये जल्दी निपटेंगे, चाहे उनको लोक अदालतों के माध्यम से निपटाया जाए या बैठ कर निपटाया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा, तो मैं मानता हूं कि कोर्ट्स पर जो भार है, वह निश्चित तौर से कम होगा और कोर्ट्स दूसरे केसेज़ सॉल्व करने में सक्षम होंगी।

आखिर में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं, जय हिन्द।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी। इससे पहले श्री विजयसाई रेड्डी जी अपनी बात कहें, मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूंगी कि अभी 7 माननीय सदस्यों के नाम हैं, जिन्होंने बोलना है, जबकि कुल 14 मिनट का समय है। इस समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी माननीय सदस्य कृपया दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Madam, in case of a complaint from the complainant, it means that the cheque has already been dishonoured and most likely, it is not the fault of the default drawer. Ideally, in such a situation, according to me, a payee should issue another negotiable instrument and settle the matter at that stage. In case of a complaint from a drawee, most likely it means that the payee has not taken into consideration the issues that drawee would be facing due to cheque being dishonoured. My second point is, fixing an interim compensation with a maximum of 20 per cent of the amount of the cheque will not serve any purpose. After all, it is difficult to imagine that under all circumstances, this compensation would serve the needs of the drawee when he intended to realize full value of the cheque. Therefore, I would request the hon. Minister to vest the power in the court rather than fixing 20 per cent straight away in the Act itself. Madam, my third point is that a minimum of 60 days to a maximum of 90 days is still considerable time, considering that it is 16 and 25 per cent of 365 days per year. Therefore, any interruption in the business on account of such long period is an interruption to the productivity of the economy. Therefore, I suggest to the hon. Minister that it can be reduced to a minimum of 45 days and maximum of 60 days. With this, I support the Bill. Thank you, Madam.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): बहुत-बहुत शुक्रिया। Now, K.C. Ramamurthyji.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Madam, while supporting the Bill, I would like to highlight a few points for consideration of the Government. In the Statement of Objects and Reasons, it has been very clearly mentioned that the Bill aims to address (i) - unduly delay; (ii) - relief for payers and (iii) discouraging frivolous and unnecessary

litigations. Madam, the main object of the Government is to reduce pendency of the cheque bouncing cases. But, will the hon. Minister clarify whether through the proposed amendment, the cheque bounce cases would come down? I doubt very much. Unless and until, you nave stronger deterrents, it is not possible. I will give an example of France. In France, if anyone defaults on cheque payments, he will be added to the Central Cheque Register, known as FCC and once, a person's name is included in this, he is barred from issuing cheques for five years. This kind of stringent provision could have been included in the amendment, which would have worked as deterrent to the people. Madam, as per one estimate, there are as many as 16 lakhs cheque bounce cases pending in subordinate courts and more than 35,000 cases in higher courts. In Karnataka alone, out of 7 lakh criminal cases, 3 lakh cases are under the Negotiable Instrument Act. This amendment will not solve the problem in any manner since the number of pending cases is mounting and the time taken for disposal of these cases is increasing day by day. It is mandated that cases or summary trials be completed in six months but in practice it is not happening. There is a need for the Government to have an impact assessment of pendency and devise ways and means for faster disposal of cases, which is not happening now. So, whatever is proposed to be done with this Amendment is only a piecemeal solution to benefit mainly the complainant. Madam, the proposed Amendment provides for depositing the amount within two months. If the deposit is not made within the prescribed period of two months, the complainant has to request the court to initiate coercive measures to deposit the said amount, which would result in a tedious and time-consuming process. The courts, after having awarded the interim compensation, would have to direct the complainant to refund the said amount in the case of an acquittal. If the complainant does not repay the said amount, the accused will have to move for recovery of the said amount, perhaps, by moving recovery proceedings, which is again a cumbersome process. Therefore, it will put the accused into hardship and inconvenience.

Madam, the proposed Amendment would amount to multiplicity of proceedings, particularly given the fact that most of the cheque dishonour cases have been false prosecutions, majority resulting in acquittals in recent times and hence would complicate the process and drag the court proceedings for a considerable amount of time and would also increase the pendency of cases in the courts, much against the objective of the Bill.

Most importantly, Madam, all of us are aware that the Amendment is, and will prove to be, more beneficial to the financial institutions, money lenders and traders. But the people, who borrow money, are generally economically weak and poor people. Their payment capacity will also be limited. Most of the times, the lenders will obtain blank

[Shri K.C. Ramamurthy]

cheques or post-dated cheques beforehand only, and since under Section 17 of the Act, it is the holder who, in due course, has to proceed, but in reality, anybody can fill up the cheque and claim the cheque which would already have the signatures of borrower. Since this is going to be a blank cheque, the amount that is going to be entered may be totally different from the agreed amount. Unless we make possession of blank cheques, with signatures of unconnected persons, an offence, there will be no protection for the person who issues the cheque.

Madam, I would like to bring one incident to the notice of the House. Recently, in Bengaluru, in one of the Bengaluru social clubs' locker, authorities have seized hundreds of blank cheques along with huge cash. So, that is an indication that the money lenders and the financial institutions are using this provision to their advantage. Madam, the Bill is silent on a situation when a drawer commits offence repeatedly. As per the provisions, the same procedure will be followed which, I think, is not appropriate. So, I suggest for the consideration of the hon. Minister that if the drawer commits offences repeatedly, the deposit amount can be increased from 20 per cent to 30 per cent, 40 per cent or 50 per cent. Then, there will be some sort of a deterrence. Otherwise, this will create a lot of agony in spite of getting himself acquitted. I am talking about the persons, who deposit the money. If the accused does not get the money, he will have to face a lot of inconvenience. So, care should be taken in this regard and, at least, bank guarantee must be taken from the person. The 20 per cent money, which he gives, and in case he gets acquitted, then to recover that money, this person will have to suffer a lot. So, at least, the bank guarantee should be taken from the person on this 20 per cent amount, so that the recovery becomes much easier. I suggest for the consideration of the hon. Minister to fix a time period also, within which cases have to be disposed of. It can be a period of three months, six months or nine months. For this, we need to constitute Fast Track Courts, arrange for alternative dispute redressal forums, without which it is not possible to get justice at all.

More importantly, Madam, I also feel that the conflicting interests must be properly balanced and fine-tuned to protect the innocent borrowers also, who generally belong to. as I told earlier, middle-class, lower middle-class or economically weaker sections of the society. However, I would also like to mention that this Amendment has very many positive outcomes also. The relevant provisions of the Income-Tax mandate, where payment exceeds ₹ 20,000, should be brought in so that the cash transaction is totally reduced. The presumptions available under Section 138 of the Negotiable Instruments Act cannot be blown out of proportion if we don't invoke this because ₹ 20,000 ceiling has

5.00 P.M.

been fixed by the Income-Tax Department. It is a fact that if such interim compensation is to be awarded at the very initial stage, the drawer of the cheque would be careful and conscious before issuing such cheques randomly to the payee.

The provisions of the Interim compensation and condition in making appeals will not only act as a deterrent against the drawer of the cheque but will also give some relaxation to the payees in terms of realizing his money. But the Bill has made a provision to deposit 20 per cent of the amount of the cheque immediately, without considering the case, where the dishonoured cheque might not have been caused deliberately. *(Time-bell rings).* Only one more minute, Madam.

Apart from this, sufficient infrastructure will have to be created, in the courts to deal with these cases. As the Government pushes for a cashless economy, it is very, very important to deal with the menace in a comprehensive manner, not in a piecemeal manner, as I have said already.

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदया, 'Negotiable Instruments Act', जो लोक सभा में दो जनवरी 2018 को पेश किया गया था, वह वहां से पारित हुआ है। महोदया, Negotiable Instruments Act, 1881 में जो संशोधन किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि वह बहुत ही सामयिक है। सरकार लोक सभा में भी सुविचारी ढंग से विचार करने के बाद इस तरह का संशोधन लेकर आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रतिनिधिगण, बहुत सारे व्यापारी सरकार से मिले, मंत्री जी मिले, मंत्रियों से मिले और उन्होंने इस बात की जिज्ञासा व्यक्त की कि चेक बाउंस होने के कारण हमारा व्यापार बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। खास तौर से छोटे, मझोले और सीमान्त व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको जो चेक जारी होते थे, उनमें बहुत सारे चेक बाउंस हो जाने से उनका बाज़ार में लेन-देन रुक जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने इन परिस्थितियों को देखते हुए, उन व्यापारी प्रतिनिधियों के अनुरोध पर इस तरह का संशोधन लाने का निर्णय लिया। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इससे हमारे व्यापार और लेन-देन में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और चेक की विश्वसनीयता बढ़ेगी। यह हमारे व्यापार के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो भी लेन-देन हो, वह विश्वसनीय हो। इस दृष्टि से जो भी संशोधन लाए गए हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं।

महोदया, इसमें जो Clause 143(A) include किया गया है, इससे उन सभी मामलों में, जिनके चेक बाउंस होते थे, जब वह कोर्ट में जाएगा और उसको कोई रिलीफ लेना होगा, तो उसे 20 परसेंट की धनराशि जमा करनी होगी। उसके बाद ही उन्हें कोई रिलीफ या कोई सुनवाई का अवसर मिल सकेगा। इसमें एक धारा 148 भी जोड़ी गई है, जिसमें अगर उसके against कोर्ट से कोई निर्णय होता है और वह चेक दाता अपील के लिए जाता है, तो अपील में जाने के समय भी उसको 20 परसेंट

[डा. अशोक बाजपेयी]

compensation अतिरिक्त जमा करना होगा। उसके बाद ही कोर्ट में उसकी अपील की सुनवाई हो सकेगी। महोदया, इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर वह पैसे की रिकवरी नहीं देता है, तो Revenue Act के अंतर्गत जिला अधिकारी द्वारा recovery certificate जारी करके, हम पैसे को उसकी immovable या movable property से प्राप्त कर सकेंगे। इससे फर्जी चेक जारी करने वालों के ऊपर दबाव बढ़ेगा और उनको एक आंतरिक भय होगा कि हम तब ही चेक जारी करें, जब हमारे एकाउंट में पैसा हो, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि बहुत सारे लोग फर्ज़ी लेन-देन के चलते चेक जारी कर देते हैं, चाहे उनके एकाउंट में पैसा हो या न हो, इससे सारे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए, इस विधेयक को लाने का काम किया गया है। महोदया, मैं समझता हूं कि इस विधेयक के आने से एक बड़ा निर्णय होगा। हमारे यहां न्यायालयों में इतनी बड़ी संख्या में चेक बाउंस के मामले लंबित हैं। मैं समझता हूं कि लाखों की संख्या में ऐसे प्रकरण हैं, जो विभिन्न देशों के विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं और लगभग एक करोड़ के आस-पास उनकी संख्या होगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतना बोझ न्यायालयों के ऊपर चेक बाउंस का ही आ गया है, तो इसके निष्पादन के लिए एक व्यवस्था यह भी की गई कि इसके लिए लोक अदालतों का गठन किया जाए। जिला स्तर, ताल्लुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय स्तर की लोक अदालतों का गठन किया जाए, जिससे इन चेक्स के मामलों का out of court भी सेटलमेंट हो सके और लोक अदालतों में भी इनका समाधान हो सके, जिससे चेक बाउंस के प्रकरणों को कम किया जा सके और व्यापार में शुचिता लाई जा सके। जो लोग अवैध चेक या गलत चेक जारी करते हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो यह महत्वपूर्ण विधेयक लाई है, इस महत्वपूर्ण विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और आज पूरा सदन इसका समर्थन कर रहा है। सभी लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं कि इसे पारित किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि Negotiable Instruments Act में जो आवश्यक प्रावधान किए गए हैं वे बहुत जरूरी हैं। इसके साथ ही मैं इस संशोधन बिल का समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): Shri Tiruchi Siva; not present. Shrimati Vandana Chavan.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak on the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2018. Since I have very little time, just two minutes, I will make my points in bullet form, without going into the nitty-gritty of the provisions.

My first point is that it is a settled principle in criminal law that an accused is deemed to be innocent till proved guilty. Insertion of the power to the court to award interim compensation would mean deciding the case before the final hearing, and, it would be against the principle of natural justice. And, Madam, in this regard, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Supreme Court judgement in Mardia Chemicals Limited *v.* Union of India (2004) 4 SCC 311, where a similar provision under

the banking laws, the Sarfaesi Act of 2002, was held to be unconstitutional, arbitrary and in violation of Article 14. The Supreme Court observed that deposit of such a heavy amount on the basis of one-sided claim alone cannot be said to be a reasonable condition in the first instance before the start of the adjudication of the dispute. So, though this provision seems to be very open and inviting, still the Supreme Court earlier has held it as unconstitutional, and, therefore, I wanted to bring this to the notice of the august House.

Madam, my second point is that in 2002, the principal Act was amended, and, Section 143 was inserted which provided for summary trial. Section 143 also provides for cases to be decided within a period of six months. In spite of these amendments, Madam, we see that the cases are not being decided in six months. Now, who is to be blamed for this? It is said that there are lesser courts, and, therefore, these cases cannot be adjudicated. So, if we are bringing an amendment just to circumvent a failure of the Government to provide the courts, which have been demanded, time and again, by sections of the judiciary and the Bar, I think, it is not justified.

Madam, my third and the last point is that many times, on getting a notice from the drawee, the drawer pays a part of the amount against the said cheque, it could be even more than 20 per cent. However, the proposed amendment for interim compensation has not made any provisions for the court to take cognizance of these kinds of situations.

With these three points, I conclude my submissions. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): Now, Shri P. Bhattacharya; not present. Shri Veer Singh.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2018 पर अपनी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, चेक बाउंस की समस्या देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें अभी तक जो कानूनी प्रावधान था, वह अपील में जाने के बाद बहुत वक्त लेता था और इस समस्या से पीड़ित लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अभी इसमें दो संशोधन लाए गए हैं - एक धारा 143 (क) और दूसरा 148 का प्रावधान है।

महोदया, आज देश में चेक बाउंस के लगभग 20 लाख से ज्यादा केसेज़ न्यायालयों में लंबित हैं, जिन्हें वहां लगभग पांच वर्ष से ऊपर हो गए हैं। लोगों को न्याय की उम्मीद छूट गई थी, लोग हताश थे और वे चाहते थे कि सरकार कुछ ऐसे कारगर प्रावधान करे, जिससे समय पर लोगों को लाभ मिल सके।

महोदया, यह विधेयक चेक बाउंस होने और अन्य पराक्रम्य लिखत की धाराओं का उल्लंघन होने पर सज़ा भी निर्दिष्ट करता है, साथ ही अंतरिम मुआवजा प्रावधान को भी शामिल करता है। इसके

[श्री वीर सिंह]

अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित अपराध पर विचार करने वाले न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह चेककर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दे। यह अंतरिम मुआवजा चेक की 20 प्रतिशत की राशि से अधिक नहीं होगा। निचली अदालत जिस तारीख को मुआवजा देने का आदेश देगी, उस तारीख से 60 दिनों के अंदर इसे चेककर्ता को चुकाना पड़ेगा। अपील की स्थिति में, अपीलीय न्यायालय उसे अपराध सिद्धि के दौरान निचली अदालत द्वारा निर्देशित जुर्माने या मुआवजे की कम से कम 20 प्रतिशत राशि जमा कराने का आदेश दे सकता है। यह राशि उस अंतरिम मुआवजे के अतिरिक्त होगी, जो चेककर्ता ने निचली अदालत में मुकदमे के दौरान चुकाई थी। इस प्रकार, यह मुकदमें और अपील, दोनों में अंतरिम क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है।

महोदया, मेरा मानना है कि प्रस्तुत संशोधन से अब पीड़ित पक्ष को तत्काल न्याय मिलेगा और चेक बाउंस होने पर पीड़ित पक्ष को अपना पैसा हासिल करने के लिए अदालतों में बहुत अधिक धन और समय व्यय नहीं करना पड़ेगा।

महोदय, प्रस्तुत विधेयक में चैक प्राप्तकर्ता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से चैक के अस्वीकृत होने संबंधी मामलों में अनावश्यक विलम्ब की समस्या के समाधान के लिए इस एक्ट में जगह-जगह इसके पर्याप्त उपाय भी कर दिए गए हैं। इस विधेयक को लागू होने के आवश्यक विवादों को इसी से निपटाया जा सकता है अपेक्षाकृत बहुत अधिक समय तक कोर्ट में जाने के। इससे चैक की विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा बैंक सहित उधार देने वाली संस्थाएं, जो देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उत्पादक क्षेत्र को उपलब्ध कराते हैं, उनकी अनुमति लेकर सामान्य व्यापार तथा वाणिज्य को भी सहायता मिलेगी।

हमारे देश के न्यायालयों में जजों की बहुत कमी है। जजों की कमी होने के कारण चैक बाउंस जैसे निस्तारण के केसेज़ काफी समय से लम्बित रहते हैं। मेरा सुझाव है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की अलग से व्यवस्था की जाए।

दूसरा यह कि चैक बाउंस होने पर जो दो साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, इसको बढ़ाकर चार साल किया जाए। इसी सुझाव के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Madam, in a general way, people would like to welcome and appreciate this Bill. But I doubt whether this Bill alone can serve the purpose. The frauds and fraudulent transactions have become a common practice in all parts of the world. Every day, we come to know about such kind of ills from different countries of the world. It has affected the health of the economy in many countries, including India.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

Sir, the health of the economy, the health of the banking system is very important. Recently, our Government has come up with a Bill, namely, the Financial Resolution

and Deposit Insurance Bill, with great claims. We know the plight that has come for that Bill. The Government was forced to withdraw it. In the same way, in this Bill also, the Government believes that by this Bill they can prevent all the practices which are not advisable for a growing economy. Sir, the question is that this panacea is too small, too helpless to solve the problems. The point is that this Bill is talking about a 20 per cent sum to be given to the complainant by the drawer. It works with a presumption that the drawer is always the man who has done wrong and it believes that the payee is always right. I think that presumption may not always be right. In the Bill itself we can say that if it is put otherwise, the payee has to pay back the money to the drawer with the interest rate. That shows that it can happen both ways. In some cases, drawer can be the culprit and in some cases, the payee can be the accused. That is why the Bill says that the money has to be given to the payee. For that, why can't the money be given to the court itself? The court is the place where they can decide this.

One more important issue is there, Sir. We all know the saying, 'justice delayed is justice denied'. In all the courts in the country, from lower courts up to the Supreme Court, they are not having enough people to handle the cases. In such cases, the settlements take a long time.

MR. CHAIRMAN: Alright. Please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: So, these facts have to be taken into account. These are all my points. Thank you.

श्री सभापतिः मैं सोच रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक नियम बनाऊंगा। जो भी मेम्बर किसी बिल पर बोलना चाहेंगे, उन्हें वोटिंग तक रहना होगा, तभी उनको मौका मिलेगा।

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, बिल्कुल सही है।

श्री सभापतिः जब गांव में हरी कथा संध्या भजन होता है, शुरू में लोग आते हैं, उसके बाद फिर एक-एक करके चले जाते हैं, तो चार लोग बैठे रह जाते हैं। हरी कथा वाले सोचते हैं कि कम से कम चार लोग तो बैठे हैं। वे उनसे बाद में पूछते हैं कि आप इतना interest से बैठे हैं, क्या विषय है। तो उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि मैं माइक सेट वाला हूं, मुझे यह लेकर जाना है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप यहां क्यों बैठे हैं, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं हारमोनियम वाला हूं, इसलिए यहां बैठा हूं।

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, यह अच्छा हो जाएगा। एक नियम अभी भी है। वह यह है कि बोलने के तुरंत बाद सदस्य बाहर नहीं जाएगा। वह दूसरे मेम्बर्स को सुनने के बाद ही बाहर जाएगा। यह प्रावधान तो आज भी है। इसका भी पालन हो जाए, तो ठीक है।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): सर, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान में जब से बैंकों का नेशनलाइजेश्न हुआ, तब से बैंकिंग सिस्टम पर हिंदुस्तान की जनता का विश्वास बढ़ा। परंतु इतने साल बैंकिंग व्यवस्था लागू होने के बाद भी व्यापारी वर्ग आज भी चेकों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। आम दुकानदार चेक लेकर कोई माल अनजान व्यक्ति को नहीं देता। वह यह सोचता है कि यदि चेक बाउंस हो गया तो पैसे कहां से तथा किससे लेगा? बहुत से देश में बैंकिंग सिस्टम इतना सख्त है कि मनुष्य जब चेक देता है तो मानता है कि उसको एक ड्राफ्ट मिला है और वह चेक वापिस नहीं हो सकता और उस चेक के ऊपर पूरी विश्वसनीयता रहती है। हिंदुस्तान सरकार ने जीएसटी का प्रावधान किया। मनुष्य को अगर चेक के बदले माल दे दिया और यदि चेक बाउंस हो गया, तो उस व्यक्ति को टैक्स अपनी जेब से भरना पड़ता है। आज की तारीख में यह स्थिति है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रावधान को सख्त बनाना चाहिए। अगर चेक बाउंस का एक मुकदमा दायर होता है तो एक साल के अंदर कोर्ट को भी एक समय सीमा के अंदर उसका निपटारा करना चाहिए। एक साल बहुत लंबा समय है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक केसों का निपटारा करने के लिए एक साल का समय दिया है। उनका कोर्ट्स निपटारा कर रहे हैं। यह पैसों का मामला है और पैसों के मामले में अगर एक साल के अंदर वह चेक का केस निपट जाएगा, तो उसका थोड़ा सा विश्वास कोर्ट पर बढ़ेगा। 20 प्रतिशत हमने राशि का निर्धारण इस बिल के माध्यम से किया है, जब वह अपील फाइल करे। पहले केस फाइल करेगा, जब 20 प्रतिशत होगा और अपील फाइल करेगा तो 20 प्रतिशत होगा। मैं समझता हूं कि अगर इसको हम थोड़ा-सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दें या 30 प्रतिशत करे दें तो उसके मन में यह डर रहेगा कि मेरा चेक वापिस होना ठीक बात नहीं है। इससे देश का व्यापार भी बढ़ेगा और व्यापार के अंदर जो दो नंबर का सिस्टम बन गया है वह दो नंबर का सिस्टम खुद-ब-खुद खत्म हो जाएगा। आज एक किसान अपने खेत की रजिस्ट्री करवाता है तो वह डरता है कि कहीं चेक बाउंस न हो जाए। वह कैश पर विश्वास करता है या ड्राफ्ट लेता है, चेक नहीं लेता है। क्योंकि sale deed तो हो गई, वह तो cancel नहीं होगी, मगर उसे चेक बाउंस का मुकदमा कोर्ट में जाकर लड़ना होगा। इसी प्रकार दुकानदार ने माल दे दिया। माल उसके घर पर पहुंच गया। माल तो उसके घर पर पहुंच गया, परंतु चेक बाउंस का मुकदमा उसे कोर्ट में लड़ना होगा। चेक को बैंकिंग सिस्टम के अंदर equivalent to cash माना जाता है तो उसके प्रावधान इतने सख्त होने चाहिए कि वो मनुष्य उसको गलत चेक देते समय डरे। परंतु मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में छोटे लोगों को बैंकिंग सिस्टम से कई बार पैसा नहीं मिल पाता, non-banking finance companies जो रेग्यूलेटेड कंपनियां हैं, उनसे पैसा नहीं मिल पाता और महाजन ज्यादा ब्याज दर पर उधार पर पैसे देता है। वहां पर वह कोरे चेक पर साइन करा कर रखता है। जिस व्यक्ति को सरकार की तरफ से उधार पर धंधा करने का कोई अधिकार नहीं है, उनके चेकों पर इस तरह का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 50,000 रुपए का लोन लेने वाला गरीब और अनपढ़ आदमी धोखाधड़ी में फंस जाए या एक व्यक्ति की चाल में फंस जाए।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में व्यापार बढ़े। व्यापारिक लेन देन में चेक दिए जाते हैं। इस देश के अंदर लोगों का बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बढ़े और

जो बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां लोन देती हैं, उनके ऊपर विश्वास बढ़े। अगर बिना किसी लेन-देन के चेक दिया हुआ है, उसकी तसल्ली करने के बाद कोर्ट को उसमें थोड़ी सी लिबर्टी देनी चाहिए, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को इसमें ज्यादा परेशानी न हो। मैं सभापति जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के प्रावधानों को सख्त करें, ताकि देश का व्यापार बढ़िया चले और देश के लोग बैंकिंग सिस्टम में और चेक सिस्टम में विश्वास कर सकें, धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद, सुशील गुप्ता जी। मंत्री जी, सभी सदसें ने इसका समर्थन किया है इसलिए अब आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं होगी।

श्री शिव प्रताप शुक्लाः सभापति महोदय, इस बिल पर 15 सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही प्रायः सभी सदस्यों ने इस बात को भी कहा है कि जब चेक dishonour होता था, तो लोगों को घबराहट हुआ करती थी, अब कम से कम इसमें कमी आएगी। अब अपील के साथ ही साथ 20 परसेंट का भुगतान मिलेगा, फिर और मुकदमे आपस में देखेंगे। श्रीमन्, इस समय पूरे देश में subordinate courts और district courts में 16 लाख ऐसे मामले हैं, जो चेक बाउंस के हैं और 32 हजार ऐसे केसेज़ हैं, जो हाई कोर्ट तक गए हैं। ऐसा नहीं है कि यह जो प्रावधान किया जा रहा है वह इस नाते ही किया जा रहा है कि बहुत कम हैं लेकिन इस नाते भी किया गया है ताकि वे आगे हाई कोर्ट तक ना जा सकें और जल्दी से जल्दी उसमें लोगों का विश्वास हो, इस नाते इसको किया गया है। इसमें जो संशोधन भी आया था, वह इस दृष्टि से भी आया था कि यह केवल वाणिज्यिक लेन-देन के लिए न हो, बल्कि सर्वसाधारण के लिए भी हो। जैसे सुशील जी कह रहे थे, उन्होंने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा है कि जो छोटे-छोटे लोग हैं, कहीं वे इसमें न फंस जाएं। उसको दृष्टि में रख कर 143(A) और 148, इन दोनों में इसका प्रावधान किया गया है। संजय जी ने भी इस पर कई बातें रखी हैं, लेकिन संजय जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस वाणिज्यिक स्थिति में ये बातें कही थीं, हमारा जो पूरा समाज है, उसमें एक शब्द किया है- साहकार, साहूकार। अरे भाई, व्यापार करने वाले लोगों को तो वैसे भी लोग साहूकार मान लेते हैं कि वह जो करेगा वह सही करेगा। फिर भी चेक dishonour होता है, चैक बाउंस होता है। तो स्वाभाविक होगा कि हमको और आपको सदन में इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि वे बेचारे अपना पैसा देकर फंसे हुए हैं, उनको चेक के आधार पर नुकसान हो रहा है, उनका क्या किया जाए। इससे एक तो साहूकारों को भी लाभ होगा कि जो लोग चेक देकर चले जाते हैं, जिसकी चर्चा अभी हुई है कि चेक पर कैसे विश्वास किया जाए, कैसे लेन-देन हो, जिसकी चर्चा सुशील जी ने भी की है, तो इससे वह बात भी पूरे तौर पर खत्म होगी और उन लोगों को भी फायदा होगा जिनके छोटे-छोटे चेके के मामले होते हैं। अब गवर्नमेंट के चैक बाउंस नहीं होंगे। गवर्नमेंट के चैक का एक अलग स्वरूप है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने already तय किया है। मैं जानता हूं कि आप कोई बात बोलना चाहते हैं। हां, अगर किसी ने गलती की है, तो वह क्लेरिकल गलती के कारण हो जाता है, वह शासन की गलती के कारण नहीं होता है। शासन में न जाने कितने खातों के पैसे एक योजना से दूसरी योजना में चले जाते हैं, जिसके नाते में ऐसा हो जाता है, जिसके बारे में आप पूरी तरह से अवगत हैं। आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसे जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में जाया करते थे, तो उस जाने की स्थिति पर आपने जीएसटी की चर्चा की है, वे जाते थे, तो बदल दिए जाते

[श्री शिव प्रताप शुक्ला]

थे, वे जाते थे, किसी मद में और हो जाते थे, किसी मद में। इसका संज्ञान आपको अधिक है, क्योंकि आप पिछली स्थिति को जानते हैं और उसके काफी नजदीक रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अब ऐसी स्थिति न आए, इस नाते से इस बिल को लाया गया है। मैं सभी वक्ताओं का स्वागत करता हूं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया। मैं सदन का भी स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बिल को जरूर पारित करें, धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद मंत्री जी।

MR. CHAIRMAN: The question is:

That the Bill further to amend the Negotiable Instruments Act, 1881, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill, in Clause 2, there are two Amendments, Amendments (Nos.1 and 2) by Shri K.K. Ragesh and Shri Elamaram Kareem.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, there is one clarification. Before finalizing a case, an accused is not guilty. Imposing a 20 per cent payment of the cheque amount is unfair.

MR. CHAIRMAN: Right.

SHRI ELAMARAM KAREEM: in commercial transactions, it may be done because cheques are issued against invoice. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Right; there is no scope for speaking. You may move your Amendments.

Clause 2—Insertion of New Section 143A

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(1) That at page 2, line 11, *for* the word "sixty", the word "thirty" *be substituted.*

(2) That at page 2, *after* line 18, the following be *inserted,* namely

"(7) The provisions of sub-sections (1) to (6) shall be applicable to commercial transactions only, where the cheque is issued against valid invoices and bills, and where the consideration in question is for transfer of money from one Bank to another Bank."

The question was put and the motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Minister.

श्री शिव प्रताप शुक्लाः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि बिल पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up the Bill further to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, we can take it up on Monday. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. Let it be taken up. At 6 o' clock, we will stop it and then will continue it on Monday. Mr. Minister, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, there was an understanding that it would be taken up on Monday. So we have not given the names of our speakers.

MR. CHAIRMAN: No, no. They do not need to. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, all our speakers will speak on Monday.

MR. CHAIRMAN: Yes; no problem.

The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2018

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, I move:

That the Bill further to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

सर, यह बिल सबको मंजूर होगा, क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जहां पर B.Ed. पढ़ाया जा रहा था, लेकिन B.Ed. की या B.P.Ed. की परमिशन उन्होंने समय पर नहीं ली। उन्होंने परमिशन तीन-चार साल के बाद ली और उसके कारण जो पहले दो-तीन बैचेज़ थे, वे illegal रह गए। यह 10,000 छात्रों की problem है, Ten thousand students are suffering because their degrees are not recognized as those courses at that time were not